RSCE राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

602, पंचम तल, पंचम ब्लॉक, डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–3020
दूरभाष: 0141–2715548, 2709846 E-mail: mis.nsqf.raj@gmail.com

PM SHRI

क्रमांकः रास्कूशिप/जय/व्या.शि./दिशा–निर्देश/2026–27/7646 दिनांक 23/09/2026

PM Shri विद्यालयों में प्री-वोकेशनल शिक्षा अंतर्गत 'कौशल बोध' कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश 2026-27

1. पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है, जो भारतीय दृष्टिकोण और हमारे सभ्यतागत मूल्यों में निहित हो साथ ही विद्यार्थियों को 21 वीं सदी की संभावनाओं एवं चुनौतियों का रचनात्मक ढंग से सामना करने हेतु तैयार करे। इस दिशा में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा **(एन.सी.एफ.-एस.ई.) 2023** ने सभी स्तरों पर आधारशिला रखी है।

एन.सी.एफ. के प्रावधान **9.3.2.1 एवं 9.3.2.2** के अनुसार, **मध्य स्तर (कक्षा 6-8)** पर पाठ्यचर्या का उद्देश्य विद्यार्थियों को भविष्य के लिए आवश्यक विविध कौशलों से सुसज्जित करना है, जिससे वे बदलती सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम एवं आत्मनिर्भर नागरिक बन सकें। इसी दृष्टिकोण को साकार करने के **लिए 'कौशल बोध'-कक्षा 6 से 8** हेतु व्यावसायिक शिक्षा की एक गतिविधि-आधारित पुस्तिका - **NCERT / PSSCIVE** द्वारा हिन्दी भाषा में विकसित की गई है तथा उनकी वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध है। (https://www.psscive.ac.in/key-initiatives/kaushal-bodh/textbooks)

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 'कौशल बोध' कार्यक्रम राज्य के समस्त 639 पी.एम. श्री उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी प्रारम्भिक स्तर से ही विभिन्न प्रकार के कार्यों एवं कौशलों से परिचित हो सकें।

2. उद्देश्य

'कौशल बोध' आधारित व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति अपेक्षित है -

- व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से 21 वीं सदी के आवश्यक कौशलों की समझ विकसित करना।
- विभिन्न कार्यों, संबंधित सामग्री एवं प्रक्रियाओं की मूलभूत जानकारी तथा कौशल विकसित करना।
- श्रम की गरिमा तथा सभी प्रकार के व्यवसायों के प्रति सम्मान का भाव विकसित करना।
- विभिन्न व्यवसायों की सामाजिक एवं आर्थिक उपयोगिता को समझने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना।
- अनुभव-आधारित गतिविधियों के माध्यम से जिज्ञासा, सहयोग, दृढ़ता एवं संवेदनशीलता जैसे जीवन-मूल्यों का विकास करना।
- दैनिक जीवन एवं घरेलू कार्यों के लिए आवश्यक बुनियादी ज्ञान एवं कौशल विकसित करना।

3. योजना के प्रकार

NCFSE-2023 के अनुसार समस्त कार्यों को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक श्रेणी से एक-एक परियोजना अर्थात् प्रति वर्ष कुल तीन परियोजनाएँ पूर्ण करनी होंगी।

Scanned with CamScanner

- **जीवन आधारित कार्य (Life Form)** - जैसे सब्ज़ियों का बाग़ लगाना तथा पौधों एवं पशुओं की देखभाल करना।
- **मशीन एवं सामग्री आधारित कार्य (Machine & Material Form)** - जैसे कागज़, लकड़ी, कपड़ा, मिट्टी आदि से वस्तुएँ बनाना तथा कैंची, हथौड़ा, पेचकस जैसे औज़ारों का प्रयोग करना।
- **मानव सेवा आधारित कार्य (Human Services Form)** - जैसे लोगों की आवश्यकताओं को समझकर सेवा प्रदान करना - स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा, शिक्षा, सामुदायिक सेवा आदि।

इन परियोजनाओं को किसी भी क्रम में अथवा एक साथ भी पूर्ण किया जा सकता है। विद्यार्थियों के समूह भिन्न-भिन्न परियोजनाओं पर एक साथ कार्य कर सकते हैं। यह समूह के आकार, चयनित परियोजना की प्रकृति तथा उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा।

4. क्रियान्वयन रणनीति — क्या करें एवं कैसे करें

4.1 समय-सारणी एवं अवधि

- कक्षा 6 से 8 में 'कौशल बोध' हेतु वार्षिक रूप से कुल 110 घंटे (40 मिनट अवधि के 165 कालांश) निर्धारित हैं।
- विद्यालय अपनी समय-सारणी एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इन कालांशों का साप्ताहिक अथवा ब्लॉक रूप में नियोजन करें। उदाहरणस्वरूप, सप्ताह में दो कालांशों के दो खंड तथा शनिवार को एक अतिरिक्त कालांश निर्धारित किया जा सकता है।
- गतिविधियों एवं परियोजना कार्यों के लिए लगातार कालांशों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि विद्यार्थियों की सहभागिता एवं कार्य की निरंतरता बनी रहे।

4.2 प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षण

- प्रत्येक विद्यार्थी को वर्ष में **तीन प्रोजेक्ट** - प्रत्येक कार्य-स्वरूप से एक - पूर्ण करनी होंगी।
- प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए **लगभग 30 घंटे (लगभग 45 कालांश)** निर्धारित किए जाएँ तथा इसे लगभग 1 से 2 माह की अवधि में पूर्ण किया जाए।
- प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल अंतिम उत्पाद तैयार करना नहीं, बल्कि रचनात्मकता, कौशल-प्रदर्शन एवं **'करके सीखने'** की प्रक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए।
- प्रत्येक कक्षा के लिए **तीनों कार्य-स्वरूपों में से एक-एक परियोजना पूर्व-निर्धारित की गई है (अनुभाग 4.3 देखें)।** विद्यालयों द्वारा इन्हीं परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, ताकि राज्य स्तर पर एकरूपता एवं गुणवत्ता बनी रहे।
- लिंग अथवा किसी विशिष्ट सामाजिक समूह के आधार पर विद्यार्थियों को विशेष भूमिकाएँ न सौंपी जाएँ। सभी विद्यार्थी सभी गतिविधियों में समान रूप से भाग लें। दिव्यांग अथवा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए परियोजना एवं गतिविधियों को आवश्यकतानुसार अनुकूलित किया जाए।

4.3 कक्षा 6 से 8 हेतु निर्धारित परियोजनाएँ

गतिविधि पुस्तिका में उपलब्ध विकल्पों में से प्रत्येक कक्षा के लिए कार्य के **तीनों स्वरूपों - जीवन आधारित, मशीन एवं सामग्री आधारित तथा मानव सेवा आधारित** - में से एक-एक परियोजना का चयन किया गया है।

इन परियोजनाओं का चयन स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता, क्रियान्वयन में सरलता तथा विद्यार्थियों की आयु-उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। राज्य के सभी PM SHRI विद्यालयों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए इन्हीं निर्धारित परियोजनाओं का अनिवार्य रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

कक्षा	परियोजना	कार्य का स्वरूप (NEP–NCF के अनुसार)	प्रमुख शिक्षण-बिंदु
6	**विद्यालय पोषण वाटिका (School Kitchen Garden)**	जीवन आधारित (Life Form)	मृदा-तैयारी, बीजारोपण एवं जैविक खेती की मूल प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव।
	मेकर स्किल (Maker Skill)	मशीन एवं सामग्री आधारित (Machine & Material Form)	सामान्य औज़ारों के सुरक्षित उपयोग से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण, रचनात्मकता एवं समस्या-समाधान।
	बिना आग के पाक-कला (Cooking Without Fire)	मानव सेवा आधारित (Human Services Form)	पोषण, स्वच्छता एवं खाद्य-सुरक्षा को समझते हुए बिना ताप के भोजन तैयार करना।
7	**पौधशाला (Plant Nursery)**	जीवन आधारित (Life Form)	पौध-प्रवर्धन (propagation) एवं पौध-देखभाल की वैज्ञानिक विधियों की समझ।
	टाई एवं डाई (Tie & Dye)	मशीन एवं सामग्री आधारित (Machine & Material Form)	वस्त्र-रंगाई की पारंपरिक तकनीक द्वारा कलात्मक एवं व्यावसायिक कौशल का विकास।
	परिवार स्वास्थ्य पुस्तिका (Family Health Book)	मानव सेवा आधारित (Human Services Form)	परिवार के सदस्यों की आयु-अनुरूप स्वास्थ्य आवश्यकताओं का अध्ययन एवं अभिलेखन।
8	**हाइड्रोपोनिक्स (Hydroponics)**	जीवन आधारित (Life Form)	मृदा-रहित (soil-less) खेती की वैज्ञानिक तकनीक एवं संसाधन-दक्ष कृषि की समझ।
	गृह स्वचालन (Home Automation)	मशीन एवं सामग्री आधारित (Machine & Material Form)	इलेक्ट्रॉनिक्स व प्रोग्रामिंग की मूल अवधारणाओं से सरल घरेलू प्रणालियों को स्वचालित करना।
	जल प्रबंधन हेतु जल ऑडिट (Water Audit for Water Management)	मानव सेवा आधारित (Human Services Form)	जल-उपयोग के आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण एवं संरक्षण हेतु व्यावहारिक सुझाव।

4.4 शिक्षण एवं अनुभवात्मक गतिविधियाँ

- **अतिथि व्याख्यान** - प्रति वर्ष कुल **3 व्याख्यान** आयोजित किए जाएँ, जिसमें प्रत्येक कार्य-स्वरूप से संबंधित 1-1 व्याख्यान हो। ये व्याख्यान स्थानीय उद्यमियों, कारीगरों, कृषि एवं तकनीकी विशेषज्ञों अथवा सेवा-क्षेत्र के पेशेवरों द्वारा दिए जा सकते हैं।
- **शैक्षिक भ्रमण** - प्रति वर्ष न्यूनतम **3 शैक्षिक भ्रमण** आयोजित किए जाएँ, जिसमें प्रत्येक कार्य-स्वरूप से संबंधित 1-1 भ्रमण हो। इन भ्रमणों के माध्यम से विद्यार्थी खेतों,उद्यान, सेवा-केंद्रों, उद्यमों, सरकारी कार्यालयों आदि वास्तविक कार्यस्थलों का प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकें।
- **Skill Connect Sessions के साथ समन्वय** - आवश्यकता होने पर कक्षा 6 से 8 हेतु **Skill Connect Sessions** में उपलब्ध समान विषयवस्तु वाले सत्रों को संस्था प्रधान की अनुमति से **'कौशल बोध'** के अतिथि व्याख्यान के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में व्यय का स्पष्ट एवं पारदर्शी अभिलेखन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी गतिविधि के लिए दोहरा भुगतान न किया जाए।

4.5 पाठ्यचर्या लक्ष्य

गतिविधि पुस्तिका **निम्नलिखित चार पाठ्यचर्या लक्ष्यों (Curricular Goals)** के अनुरूप तैयार की गई है, जिनके आधार पर विद्यार्थियों में दक्षताओं का विकास किया जाना है—

Scanned with CamScanner

- कार्य तथा संबंधित सामग्री एवं प्रक्रियाओं की आधारभूत कुशलताओं एवं संबद्ध ज्ञान का विकास।
- कार्य-जगत में व्यावसायिक कौशलों तथा विभिन्न व्यवसायों के महत्व एवं उपयोगिता की समझ का विकास।
- विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में कार्य करते हुए आवश्यक मूल्यों - जैसे ध्यान, दृढ़ता, जिज्ञासा, सहयोग एवं संवेदनशीलता - का विकास।
- घर के संचालन एवं उसमें योगदान हेतु आवश्यक आधारभूत कौशल एवं ज्ञान का विकास।

4.6 संदर्भ व्यक्तियों (शिक्षकों) का प्रशिक्षण

- **नामित शिक्षक का चयन** - कक्षा 6 से 8 में कार्यरत वर्तमान शिक्षकों में से, विशेषतः विज्ञान अथवा गणित विषय के शिक्षकों को प्रत्येक कक्षा हेतु 'कौशल बोध' के नामित शिक्षक के रूप में चयनित किया जाएगा।
- **दो-चरणीय प्रशिक्षण** - प्रशिक्षण दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण में राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण RSCERT, PSSCIVE तथा Lend A Hand India द्वारा आयोजित किया जाएगा। द्वितीय चरण में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जिला स्तर पर सभी विद्यालयों के नामित शिक्षकों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षकों (VT) का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
- **VT उपलब्ध न होने की स्थिति में** - जिन विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षक (VT) उपलब्ध नहीं है, वहाँ कक्षा 6 से 8 के **दो नियमित शिक्षक** प्रशिक्षण में भाग लेंगे।

5. वित्तीय प्रावधान

भारत सरकार द्वारा पीएम श्री विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु 'कौशल बोध' गतिविधियों के लिए **₹565 प्रति विद्यार्थी** की दर से राशि स्वीकृत की गई है। राज्य के **67,756 विद्यार्थियों** के लिए कुल **₹382.82 लाख** की राशि स्वीकृत है।

चूँकि 'कौशल बोध' के अंतर्गत अधिकांश गतिविधियाँ सामूहिक रूप से आयोजित की जाती हैं और उनका लाभ विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को प्राप्त होता है, अतः स्वीकृत राशि का आवंटन विद्यार्थी-आधारित के स्थान पर **विद्यालय-आधारित** किया जाएगा। इस आधार पर राज्य के **639 पीएम श्री विद्यालयों** में से प्रत्येक विद्यालय को लगभग **₹59,910** उपलब्ध होंगे।

प्रत्येक विद्यालय द्वारा उपलब्ध राशि का उपयोग 'कौशल बोध' की निर्धारित गतिविधियों एवं परियोजनाओं के संचालन हेतु किया जाएगा। राशि का अनुमानित विभाजन निम्नानुसार है-

क्र.सं.	गतिविधि	संकेतात्मक राशि (₹)
1	शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण (2-3 दिवसीय, आवश्यकतानुसार)	4,500
2	शैक्षिक भ्रमण (3 भ्रमण, प्रति भ्रमण ₹3,000)	9,000
3	अतिथि व्याख्यान (3 व्याख्यान प्रति वर्ष, प्रति व्याख्यान ₹500)	1,500
4	उपकरण, बेसिक टूल किट एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु उपभोग्य सामग्री	35,600
5	कौशल बोध गतिविधि पुस्तिकाएँ एवं स्टेशनरी (प्रति कक्षा 40 विद्यार्थी)	7,800
6	विविध / आकस्मिक व्यय	1,510
	कुल (प्रति विद्यालय)	**59,910**

Scanned with CamScanner

*नोट — उपरोक्त विभाजन **अनुमानित** है। उक्त सूची में वर्णित गतिविधियों की राशि का परस्पर समायोजन किया जा सकता है। राशि का उपयोग राज्य/जिला कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा विद्यालय की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकेगा। गतिविधियों पर व्यय करते समय निर्धारित वित्तीय प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।*

6. मूल्यांकन प्रणाली

परियोजना की सफलता का आकलन केवल तैयार उत्पाद की गुणवत्ता के आधार पर नहीं किया जाएगा। मूल्यांकन में विद्यार्थी की **प्रक्रिया में सहभागिता, कौशल-प्रदर्शन, समस्या-समाधान, सहयोग, कार्य-अनुशासन, सुरक्षा तथा चिंतन** को समान महत्व दिया जाएगा।

प्रत्येक परियोजना के अंत में प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा एक संक्षिप्त **'स्टूडेंट रिफ्लेक्शन फॉर्म' (Student Reflection Form)** भरना अनिवार्य होगा। इसके माध्यम से विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य, प्राप्त अनुभव, सीखी गई बातों, सामने आई कठिनाइयों तथा उनके समाधान पर उसके स्वयं के चिंतन को दर्ज किया जाएगा।

मूल्यांकन का प्रकार	भारांक
लिखित परीक्षा	10%
मौखिक प्रस्तुति / वाइवा	30%
गतिविधि पुस्तिका	30%
कार्य-संचिका (पोर्टफोलियो)	10%
गतिविधि के दौरान शिक्षक-अवलोकन	20%
कुल	**100%**

7. सुरक्षा उपाय

- **औज़ारों एवं उपकरणों का सुरक्षित उपयोग** - प्रत्येक गतिविधि प्रारम्भ करने से पूर्व विद्यार्थियों को संबंधित औज़ारों एवं उपकरणों के सुरक्षित उपयोग की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए।
- **प्रत्यक्ष निगरानी** - जोखिम वाले औज़ारों एवं सामग्री का उपयोग विद्यार्थियों से छोटे समूहों में शिक्षक अथवा VT की प्रत्यक्ष देखरेख में ही कराया जाए।
- **शैक्षिक भ्रमण की सुरक्षा** - शैक्षिक भ्रमण के दौरान परिवहन की सुरक्षित व्यवस्था, विद्यार्थियों की निगरानी तथा भ्रमण से जुड़े संसाधन-व्यक्तियों के आवश्यक उन्मुखीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

8. उत्तरदायित्व

8.1 प्रधानाचार्य

1. **समय-सारणी निर्धारण** - कक्षा 6 से 8 हेतु 'कौशल बोध' के लिए निर्धारित आवश्यक कालांशों का समय-सारणी में उचित नियोजन सुनिश्चित करना।
2. **नोडल शिक्षक का नामांकन** - कक्षा 6 से 8 के एक नियमित शिक्षक को 'कौशल बोध' के शिक्षक के रूप में नामित करना।
3. **संसाधनों की उपलब्धता** - गतिविधियों एवं परियोजनाओं के संचालन हेतु आवश्यक सामग्री, उपकरण एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. **सुरक्षित संचालन** - गतिविधियों एवं परियोजनाओं के सुरक्षित संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करना।

Scanned with CamScanner

5. **समन्वय** - नोडल शिक्षक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षक (VT) के मध्य आवश्यक समन्वय स्थापित करना तथा गतिविधियों के सुचारु संचालन में सहयोग सुनिश्चित करना।
6. **निगरानी एवं अभिलेखन** - गतिविधियों एवं परियोजना कार्यों की नियमित निगरानी करना तथा संबंधित अभिलेखों के उचित संधारण की जांच करना।

8.2 नियमित शिक्षक

1. **प्रोजेक्ट का नियोजन एवं संचालन** - गतिविधि पुस्तिका एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं की योजना बनाकर उनका समयबद्ध संचालन करना।
2. **विद्यार्थियों का मार्गदर्शन** - गतिविधियों एवं परियोजनाओं के दौरान विद्यार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना तथा उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।
3. **स्थानीय परिवेश से जुड़ाव** - गतिविधियों को विद्यार्थियों के स्थानीय परिवेश एवं वास्तविक कार्य-जगत से जोड़ना, ताकि उन्हें कार्य का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो सके।
4. **VT से तकनीकी सहयोग** - आवश्यकता होने पर तकनीकी विषयों एवं गतिविधियों के संचालन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षक (VT) से आवश्यक सहयोग प्राप्त करना।
5. **अनुभवात्मक गतिविधियों में समन्वय** - अतिथि व्याख्यान एवं शैक्षिक भ्रमणों के आयोजन में आवश्यक समन्वय करना तथा संबंधित व्यवस्थाओं में सहयोग करना।
6. **अभिलेखीकरण एवं मूल्यांकन** - विद्यार्थियों के कार्य एवं सहभागिता का अभिलेखीकरण करना, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन करना तथा विद्यार्थियों की प्रगति की जानकारी प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराना।

8.3 व्यावसायिक प्रशिक्षक (VT)

1. **तकनीकी एवं व्यावहारिक सहयोग** - नियमित शिक्षक को गतिविधियों एवं परियोजनाओं के संचालन में आवश्यक तकनीकी एवं व्यावहारिक हैंड-होल्डिंग सहयोग प्रदान करना।
2. **उपकरण एवं औज़ारों का उपयोग** - उपकरणों एवं औज़ारों के उचित एवं सुरक्षित उपयोग के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन देना।
3. **डेमोंस्ट्रेशन** - आवश्यकता होने पर संबंधित गतिविधि, कार्य-विधि अथवा कौशल का व्यावहारिक प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) करना।
4. **अनुभवात्मक गतिविधियों में सहयोग** - अतिथि व्याख्यान एवं शैक्षिक भ्रमणों के आयोजन में आवश्यक तकनीकी सहयोग एवं समन्वय प्रदान करना।
5. **मुख्य संचालन की भूमिका** - गतिविधियों का स्वतंत्र रूप से संचालन न करना। गतिविधियों के मुख्य संचालन एवं विद्यार्थियों के मार्गदर्शन का दायित्व नियमित शिक्षक का रहेगा।

8.4 DIET/RSCERT के कार्य

1. **शिक्षक प्रशिक्षण** - जिला स्तर पर आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं में नियमित शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. **पाठ्यचर्या एवं शिक्षण पद्धति –** नियमित शिक्षकों को 'कौशल बोध' की पाठ्यचर्या तथा गतिविधि-आधारित एवं अनुभवात्मक शिक्षण पद्धति से परिचित कराना।
3. **शैक्षणिक मार्गदर्शन** - परियोजनाओं एवं गतिविधियों की योजना, संचालन, सुरक्षा तथा मूल्यांकन से संबंधित आवश्यक शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करना।

Scanned with CamScanner

4. **फीडबैक एवं सुझाव** - प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त फीडबैक एवं सुझावों का संकलन कर आवश्यकतानुसार जिला/राज्य स्तर पर उपलब्ध कराना।

8.5 जिला कार्यालय के कार्य -मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (ADPC), सहायक परियोजना समन्वयक (Vocational APC) एवं नामित कार्यक्रम अधिकारी (Nominated Program Officer) के प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्न प्रकार होंगे:-

1. **क्रियान्वयन:-** कौशल बोध कार्यक्रम संबंधी राज्य स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करना।
2. **प्रशिक्षण एवं समन्वय**:- प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जिला स्तर पर सभी विद्यालयों के नामित शिक्षकों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षकों (VT) का प्रशिक्षण आयोजन में सहयोग करना।
3. 639 पीएम श्री विद्यालयों में कौशल बोध शिक्षा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. **मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग:-** राज्य कार्यालय द्वारा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना करते हुए प्रत्येक जिला अधिकारी द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 04 विद्यालयों का भ्रमण कर आयोजित सत्रों, संसाधनों के उपयोग, विद्यार्थी सहभागिता एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन की समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

28/11/24

(डॉ. रश्मि शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
2. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, रा. स्कूल शि.प., जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, RSCERT, उदयपुर।
4. उपायुक्त पीएमश्री, रा. स्कूल शि.प., जयपुर।
5. उपायुक्त, शाला दर्पण, रा. स्कूल शि.प., जयपुर को पोर्टल पर व्यावसायिक शिक्षा टैब में अपलोड कराने हेतु।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समसा कार्यालय, समस्त जिले।
7. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा कार्यालय, समस्त जिलों को प्रेषित कर लेख है कि दिशा-निर्देश की प्रति सम्बन्धित सी.बी.ई.ई.ओ., पी.ई.ई.ओ. एवं संस्था प्रधान (व्या.शि. संचालित विद्यालय) को भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. रक्षित पत्रावली।

(योगेन्द्र प्रसाद शर्मा)
उप निदेशक-व्या. शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय

Scanned with CamScanner